भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 740

26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन सहायता कौशल केंद्र

740. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में 95 राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन सहायता कौशल केन्द्रों (एनईएलएसएससी) की मंजूरी दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में केवल 6 एनईएलएस कौशल केंद्र स्थापित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी महाविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार का अन्य राज्यों के चिकित्सा महाविद्यालयों और आंध्र प्रदेश के एम्स में कब तक एनईएलएसएससी स्थापित करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार के पास निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में ऐसे केंद्र स्थापित करने के लिए सब्सिडी देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम 'आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए मानव संसाधन विकास' के अंतर्गत, संबंधित केंद्रीय संस्थानों अथवा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त नामांकनों के आधार पर केन्द्र/राज्य सरकारी मेडिकल कालेजों/स्वायत्त शासी संस्थानों में राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन सहायता (एनईएलएस) कौशल केन्द्रों की स्थापना के लिए विचार किया जाता है।

उक्त स्कीम, जो कि वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए बढ़ाई गई है, के अनुसार भौगोलिक निरुपण और जनसंख्या कवरेज पर विचार करते हुए पूरे देश भर में ऐसे 120 एनईएलएस कौशल केन्द्रों की स्थापना

किए जाने का प्रावधान है। दिनांक 23 जुलाई, 2024 की स्थिति के अनुसार, मंत्रालय द्वारा कुल 95 केन्द्र,अनुमोदित किये गये हैं। **उक्त स्कीम के तहत स्वीकृत एनईएलएस कौशल केंद्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या** अनुलग्नक **I में दी गई है।** इन अनुमोदित केन्द्रों में से, छह केन्द्रों को आंध्र प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में अनुमोदित किया गया है, **जिसमें एम्स, मंगलागिरी भी शामिल है। ऐसे सभी केंद्रों का विवरण** अनुलग्नक **II में दिया गया है।**

(घ) और (ङ): स्वीकृत स्कीम के अंतर्गत एनईएलएस केन्द्रों की स्थापना के लिए केवल सरकारी केंद्रीय/राज्य सरकार के मेडिकल कालेज/स्वायत्त शासी संस्थानों को ही निधि जारी की जाती है।

****

अनुलग्नक I

स्वीकृत एनईएलएस कौशल केन्द्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित एनईएलएस कौशल केंद्रों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	4
4.	बिहार	5
5.	चंडीगढ़	1
6.	दिल्ली	2
7.	गोवा	1
8.	गुजरात	4
9.	हरियाणा	1
10.	हिमाचल प्रदेश	1
11.	जम्मू और कश्मीर	2
12.	झारखंड	3
13.	कर्नाटक	4
14.	केरल	4
15.	मध्य प्रदेश	6
16.	महाराष्ट्र	7
17.	मणिपुर	1
18.	मेघालय	1
19.	ओडिशा	4
20.	पंजाब	4
21.	पुदुचेरी	1
22.	राजस्थान	8
23.	तमिलनाडु	6
24.	तेलंगाना	5
25.	त्रिपुरा	1
26.	उत्तर प्रदेश	7
27.	उत्तराखंड	3
28.	पश्चिम बंगाल	2

अनुलग्नक II

आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एनईएलएस कौशल केंद्रों का विवरण

क्र. सं.	**मेडिकल कॉलेज का नाम**
1.	श्री वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज, तिरूपति
2.	आंध्र मेडिकल कॉलेज, विशाखापत्तनम
3.	गुंटूर मेडिकल कॉलेज, गुंटूर
4.	रंगा राया मेडिकल कॉलेज, काकीनाडा
5.	सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, विजयवाड़ा
6.	एम्स, मंगलागिरी

******